न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–23/अ–59/2017–18/13551 बैतूल दिनांक 15/12/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 21 रा. नि. मं. चिचोली तहसील चिचोली जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार चिचोली के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, मौजा हर्रावाड़ी तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 191/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर को ग्राम पंचायत आबादी मद परिवर्तन कर पट्टा वितरण करना चाहती है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पारित तदाशय के प्रस्ताव, पंचनामा नक्शा एवं खसरा की प्रति सहित प्रतिवेदन उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है।

2– हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार चिचोली द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

(1)– मौजा हर्रावाड़ी तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 191/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर मद शासकीय भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) के अनुसार मौज हर्रावाड़ी तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 191/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर भूमि शासकीय दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968–69 के अनुसार उक्त खसरा नंबर मंजू वल्द सूका के नाम से भूमिस्वामी हक में दर्ज रहा है।

(3)– दिनांक 2–10–2017 को आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक में, मौजा हर्रावाड़ी तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 191/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर शासकीय भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(4)– तहसीलदार चिचोली एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा मौजा हर्रावाड़ी तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 191/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार चिचोली/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा हर्रावाड़ी तहसील चिचोली स्थित खसरा नंबर 191/2 रकबा 0.809 हेक्टेयर मद शासकीय को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:–23/अ–59/2017–178/ 13551 बैतूल दिनांक 15/12/2017

प्रतिलिपि:–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल
2– तहसीलदार चिचोली।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
4– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
5– सचिव ग्राम पंचायत हर्रावाड़ी जनपद पंचायत चिचोली की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.